न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 232 / 2024

अनवान : –

1. निरमल सिंह पुत्र जंटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।

– वादी

बनाम्

1. चन्दकोर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
2. रणजीत कौर पुत्री जंटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
3. चरणजीत कौर पत्नी जटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती बड़ी पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 39 / 35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 431 / 11638 हिस्सा व जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 431 / 23276 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खात स0 160 / 146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1 / 18 हिस्सा भूमि एवं जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 1 / 18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 34 / 30 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 2 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 1 / 9 हिस्सा भूमि जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम दर्ज है जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जो कि वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा [illegible] पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं [illegible] है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र जन्टासिंह उर्फ गुरजन्ट सिंह, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 व पिता के नाम दर्ज है जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जो कि वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 431/[illegible]38 हिस्सा व जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 431/23276 हिस्सा नाम दर्ज [illegible] रिकार्ड है, रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खात स0 160/146 की कुल 6.07[illegible] हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि एवं जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 26 डीपीएन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसील नोहर के खाता स0 34/30 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 1/9 हिस्सा भूमि जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जो कि वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है तथा जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 431/11638 हिस्सा व जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 431/23276 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/18 हिस्सा भूमि एवं जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 1/18 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं0 1 व मृतक जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ जन्टासिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 34/30 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के तथा 1/9 हिस्सा भूमि जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 व मृतक जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. निरमल सिंह पुत्र जंटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।

– वादी

बनाम्

1. चन्दकोर पत्नी नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
2. रणजीत कौर पुत्री जंटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
3. चरणजीत कौर पत्नी जटासिंह जाति जटसिख निवासी सोती बड़ी पड़ीहारी तहसील नोहर हाल बुर्ज ढिलवा जिला मानसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 232 सन 2024 निर्णय दिनांक – 28/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की कुल 11.6380 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 431/11638 हिस्सा व जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 431/23276 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 160/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/18 हिस्सा भूमि एवं जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ नाजरसिंह के नाम 1/18 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं0 1 व मृतक जन्टासिंह पुत्र नाहरसिंह उर्फ जन्टासिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 34/30 की कुल 6.8310 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के तथा 1/9 हिस्सा भूमि जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 व मृतक जन्टासिंह पुत्र नाजरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर